प्रेस विज्ञप्ति
09.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंबाला और मोहाली में कृषि भूमि के रूप में 75.16 करोड़ रुपये की 09 अचल संपत्तियों और मेसर्स हैसिंडा इन्फोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चैलेंजर वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में संस्थागत और वाणिज्यिक भूमि और मेसर्स एकरेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय परिसर को मेसर्स **हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. संख्या 41110/2019 के निर्देशों के आधार पर और मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल), इसके प्रमोटरों/निदेशक/अधिकारियों और अन्य के खिलाफ निवेशकों/घर खरीदारों की गाढ़ी कमाई को विपथित/गबन और अंततः उन्हें वादा किए गए फ्लैट नहीं देने के आरोप में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि एचपीपीएल द्वारा नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना 2010-11 में 67,941.45 वर्ग मीटर के भूमि पार्सल पर शुरू की गई थी और तदनुसार बिल्डर खरीदार समझौते निष्पादित किए गए थे।

धन की हेराफेरी के कारण परियोजना के लिए धन की कमी हो गई और यह पूरी नहीं हो सकी अंततः कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे निवेशकों के साथ-साथ नोएडा प्राधिकरण को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा जिसका बकाया भी एचपीपीएल द्वारा नहीं चुकाया गया। मेसर्स थ्री सी ग्रुप के निदेशक और प्रमोटरों से जुड़े विभिन्न परिसरों में 17.09.2024 से 20.09.2024 तक तलाशी ली गई, जिसमें 42 करोड़ रुपये की नकदी, हीरे और आभूषण, अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस के रूप में अपराध की आय (पीओसी) बरामद हुई।

इसके अलावा, जांच से पता चला है कि मेसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई धनराशि में से अधिकांश धनराशि मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हैसिंडा इन्फोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स चैलेंजर वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एकरेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न अन्य समूह कंपनियों को असुरक्षित ऋण के रूप में दी गई है, जिसका उद्देश्य पीओसी से खरीदी गई परिसंपत्तियों को हासिल करना और रखना है, अर्थात निवेशकों का पैसा एचपीपीएल से हस्तांतरित किया गया था, जिसे मेसर्स थ्री सी ग्रुप की समूह कंपनियों के माध्यम से स्तरीकृत किया गया था और पंजाब और नोएडा, यूपी में अचल संपत्तियों के रूप में एकीकृत किया गया था।

इससे पहले मामले में 28/10/2024 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया गया था, जिसमें मेसर्स मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एल्को ग्लोबल एलएलपी के नाम पर होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली, पंजाब में कृषि भूमि और

औद्योगिक भूखंडों के रूप में 23.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई थीं । यह इस मामले में द्वितीय अनंतिम कुर्की आदेश है और अब तक इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 98.29 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।